

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
लेन नं०-3, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, नत्थनपुर, जोगीवाला, देहरादून।

संख्या २९९९/ल०सि०/कार्य०/नाबार्ड/2022-23 दिनांक २४ मार्च, 2023
सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, उत्तराखण्ड।
(देहरादून व हरिद्वार को छोड़ते हुए)

विषय: वर्ष 2022-23 हेतु नाबार्ड वित्त पोषित योजनान्तर्गत
RIDF-XXVIII में स्वीकृत योजनाओं की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड के पत्र संख्या
3051 दिनांक 13.03.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु RIDF-XXVIII के
अन्तर्गत लघु सिंचाई की 54 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः स्वीकृत योजनाओं की सूची संलग्न कर इस निर्देश के साथ
प्रेषित की जा रही है कि योजनाओं पर निविदा की कार्यवाही सम्पादित करना
सुनिश्चित करें, तथा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त
योजनाओं का अनुबन्ध करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या ✓ /ल०सि०/कार्य०/नाबार्ड/2022-23 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश चन्द्रा)

स्टाफ अधिकारी,

कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।